



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-03082026-275105
CG-UP-E-03082026-275105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 4067]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4238(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.-	परियोजना का नाम	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	

1. उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी-ग्वालियर खंड पर किमी संख्या 1205/15-13 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 409 के स्थान पर 2 लेन आरओबी का निर्माण।

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.ई.एन.जी.जी.(बी. आर. आई. डी)/55/2026-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./बी.आर./एल./ जे.एच.एस (कंप्यूटर क्र.185400)]
ए.के. मनुवाल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 22nd July, 2026

S.O. 4238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

S. No.	Name of Project	District	State/UT
(1)	(2)	(3)	
1.	Construction of 2 lane ROB in lieu of L-Xing No. 409 at km 1205/15-13 on Jhansi-Gwalior section of N.C. Railway	Gwalior	Madhya Pradesh

[F. No. NCR-HQ0ENGG(BRID)/55/2026-O/o Dy.CE/Br./L/JHS (Computer No. 185400)]

A. K. MANUWAL, Principal Chief Engineer